भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2516

जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**और अधिक त्वरित न्यायालयों की स्थापना**

**2516. श्री संजय सिंह :**

क्या **विधि और न्याय** न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि त्वरित न्यायालयों में भारी संख्या में लंबित मामले पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार त्वरित न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय कर रही है ;

 (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (घ) :** अधीनस्थ न्यायालयों का गठन, जिसमें त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) और उनकी कार्य प्रणाली भी सम्मिलित हैं, उन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संशाधनों के अनुसार, ऐसे न्यायालयों का गठन करती है ।

संघ सरकार ने लंबित न्यायिक मामलों में कमी लाने के लिए न्यायापालिका की सहायता हेतु एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है । इसमें न्यायालयों के लिए अवसंरचना उन्नयन अंर्तवर्लित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि आदि और मानव संसाधन विकास पर बल देना भी है ।

भारत सरकार ने 14वें वित्‍त आयोग को अपने ज्ञापन में जघन्य अपराधों में अंर्तवर्लित ऐसे सीमान्त और सहजभेद व्यक्ति, जिनमें महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, बालक, आदि भी शामिल है, के मामलों के निपटारे के लिए 4,144 करोड़ रुपए की लागत से 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन का प्रस्ताव दिया था । 14वें वित्‍त आयोग ने, संघ सरकार के प्रस्‍ताव का समर्थन किया और तद्नुसार, राज्य सरकारों को राज्यों में त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने हेतु 14वें वित्त आयोग पंचाट में अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था का उपबंध किया गया था ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*